



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032026-271269
CG-DL-E-25032026-271269

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1500]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/ चैत्र 3, 1948

No. 1500]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

का.आ. 1565(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। केंद्र सरकार इसके द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. में निम्नलिखित संशोधन करती है। 1380(ई), दिनांक 22 मार्च 2023, भारत के राजपत्र में प्रकाशित। असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii)।

अनुसूची के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग के आर सर्कलबैंगलोर को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हसन के रूप में पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. RW/NH-373/Km0.00toKm150.711/22-23]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 24th March, 2026

S.O. 1565(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956). The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1380 (E), dated 22nd March 2023 published in the Gazette of India. Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

The Special Land Acquisition Officer, National Highways, K R Circle Bangalore, mentioned in column no.2 of Schedule, shall be read as Special Land Acquisition Officer, National Highway Authority of India, Hassan.

[F. No. RW/NH-373/Km0.00toKm150.711/22-23]

SHAIKH AMINKHAN, Director